संख्या-13 /20/3185/सत्ताइस-10-19-01बजट/2020

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक: 14 फरवरी, 2020**

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में नलकूप खण्ड आजमगढ की खण्डीय कार्यशाला के आधुनिकीकरण की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक:7597/09-08/सिंचाई कार्यशाला/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 31.12.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में नलकूप खण्ड आजमगढ की खण्डीय कार्यशाला के आधुनिकीकरण की परियोजना हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 10,34,000/- (रूपये दस लाख चौंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
(2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।
(3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
(5) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
(6) स्वीकृति धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।
(7) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(8) विभागाध्यक्ष नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराएं।
(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(10) उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
(11) 01 प्रतिशत लेबरसेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
(12) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के संपरीक्षित लेखे शासन को उपलब्ध कराये जाऐंगे।
(13) विभागाध्यक्ष अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराधि के सापेक्ष जमा करायी जाए। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

-2...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94 के अंतर्गत लेखाशीर्षक '4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-03-नलकूप योजनाएं -0316- खण्डीय कार्यशालाओं में स्थापित उपकरण एवं संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना-24 वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के आदेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी की जा रही है।

भवदीय,
मोहम्मद शाहिद
संयुक्त सचिव

संख्या-3185(1)/सत्ताइस-10-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(6) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, फैजाबाद।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/सिंचाई अनु0-9/नियोजन अनु0-13
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(10) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,

राम नारायण त्रिपाठी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।